न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0

प्रकरण संख्या :– 6/2018 तारीख 12-1-2

01. राजेन्द्र कुमार पिता केसरीमल जाति महाजन उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी क

तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

....

बनाम

01. सीताराम पिता नन्दा जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कास्या तहसील बिजौ

जिला भीलवाडा (राज.)

....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक 3

प्रार्थना पत्र राजेन्द्र कुमार पिता केसरीमल जाति महाजन उम्र वयस्क पेशा काश्त कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री ब्रहमप्रकाश** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे ~~एकल~~/संयुक्त खाते भूमि **मौजा कास्यां पटवार कांस्या तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 185 पर अंकित आराजी 734/456, 735/457 कुल किता 02 रकबा 3–00 बीघा भूमि** विपक्षीगण आये दिन सीमा को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अवलोकन से प्रार्थीगण आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संल पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख **कांस्या** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- रु तय किये जाते है जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी द्वारे पर अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीका जाकर **मौजा कास्यां पटवार हल्का कांस्या तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता सं पर अंकित आराजी संख्या 734/456, 735/457 कुल किता 02 रकबा 3–00 बी** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शु 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा ज

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिका
बिजौलियाँ